आरबीआई द्वारा विकसित नए साप्ताहिक सूचकांक

सन्दर्भ

आरबीआई ने कम से कम संभव अंतराल के साथ नवीनतम आर्थिक विकास को ट्रैक करने के लिए दो साप्ताहिक-गतिविधि सूचकांक (डब्ल्यूएआई और डब्ल्यूडीआई) विकसित किए हैं।

प्रमुख बिंदु

• **कारण:**

महामारी के कारण तेजी से नवाचार और उत्पादन प्रक्रियाओं के पुनर्संरेखण के कारण मौजूदा आर्थिक संकेतक अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए।

केंद्रीय बैंकों के लिए विशेष रूप से सटीक और समय पर मौद्रिक नीति निर्णय लेने के लिए आर्थिक गतिविधि पर समय पर जानकारी महत्वपूर्ण है।

• **डेटा विवरण:**

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुल 17 संकेतकों पर विचार किया जाता है।

साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक (WAI)

• गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके एक 7-सूचक सूचकांक विकसित किया गया।

• साल-दर-साल आधार पर आर्थिक गतिविधियों में बदलाव को दर्शाता है।

साप्ताहिक प्रसार सूचकांक (WDI)

• यह 15-संकेतक सूचकांक है।

• क्रमिक आधार पर किसी गतिविधि की केवल दिशात्मक गति को दर्शाता है, परिमाण को नहीं।

• 0 से 100 तक की रेंज।

• उदाहरण के लिए - 65 के सूचकांक मूल्य की व्याख्या 65% संकेतकों के रूप में की जाती है जो सप्ताह दर सप्ताह त्वरण दर्ज करते हैं।

Table 2: High Frequency Indicators

S. No.	Category	Indicators	Frequency	Source
1	Soft	Google Trends	Daily	Google
2		Consumer Sentiment Index	Weekly	CMIE
3		Consumer Expectation Index	Weekly	
4		Current Economic Conditions Index	Weekly	
5	Labour	Unemployment Rate (%)	Weekly	
6		Labour Participation Rate (%)	Weekly	
7	Demand/ Sales	Electricity Generation	Daily	Power System Operation Corporation Limited (POSOCO)
8		Motor Vehicle Registration	Weekly	Vahan, Ministry of Road Transport and highways
9		Railway Freight Loading	Daily	Ministry of Railways
10		Air Cargo Traffic	Daily	Airport Authority of India (AAI)
11	Mobility	Railway Passengers	Daily	Ministry of Railways
12		Mobility (Retail, Grocery, Park, Transit & Workplace)	Daily	Google
13		Aircraft Traffic	Daily	AAI
14		Airport Footfall	Daily	AAI
15	Payments	RTGS	Daily	RBI
16		Retail Payments	Daily	
17		ATM and AePS Withdrawal	Daily	

ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल

सन्दर्भ

केंद्र ने हाल ही में ब्रिटिश काल से बंदरगाह कानूनों को खत्म करने के लिए भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया।

प्रमुख बिंदु

• मसौदा प्रदूषण की रोकथाम, रोकथाम के लिए कानून में संशोधन और समेकन करना चाहता है और देश की समुद्री संधियों और अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के अनुपालन की सुविधा प्रदान करता है।

• मसौदे में बंदरगाहों के संरक्षण, भारत में समुद्री प्रबंधन नियंत्रण बंदरगाहों को तैयार करने और उन्हें सशक्त बनाने और भारत के समुद्र तट के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उपाय भी शामिल हैं।
• भारत का 95% से अधिक व्यापार मात्रा के हिसाब से और 65% मूल्य के हिसाब से बंदरगाहों पर समुद्री परिवहन सुविधाओं का उपयोग करके किया जाता है।
• भारत में लगभग 7,500 किमी लंबी तटरेखा, 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर एक रणनीतिक स्थान है।

मसौदा भारतीय बंदरगाह विधेयक के चार प्राथमिक उद्देश्य हैं:
• विशुद्ध रूप से परामर्शी और अनुशंसात्मक ढांचे के माध्यम से राज्यों और केंद्र राज्यों के बीच एकीकृत योजना को बढ़ावा देना;
• अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के दायित्वों को शामिल करते हुए भारत में सभी बंदरगाहों के लिए प्रदूषण उपायों की रोकथाम सुनिश्चित करना;
• बढ़ते बंदरगाह क्षेत्र के लिए आवश्यक विवाद समाधान ढांचे में कमियों को दूर करना;
• डेटा के उपयोग के माध्यम से विकास और अन्य पहलुओं में पारदर्शिता और सहयोग की शुरूआत करना।
महत्व:
• यह विधेयक अधिक खिलाड़ियों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद करेगा जिससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी और समुद्री क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
• बिल समुद्री क्षेत्र में सुव्यवस्थित और समरूप विकास सुनिश्चित करेगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

सन्दर्भ
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए आठ YouTube आधारित समाचार चैनलों को अवरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रमुख बिंदु
• यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बलों, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी खबरें पोस्ट करने के लिए किया जाता था।
• बिचौलिये वे संस्थाएं हैं जो अन्य व्यक्तियों की ओर से डेटा स्टोर या संचारित करती हैं, और इसमें दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सर्च इंजन और सोशल मीडिया साइट शामिल हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) को अधिनियम की धारा 79 के तहत किसी तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए मध्यस्थों को दायित्व से छूट प्रदान करने के लिए 2008 में संशोधित किया गया था।
• इसके बाद, आईटी अधिनियम की धारा 87 के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 तैयार किए गए थे ताकि बिचौलियों के लिए ऐसी छूट का दावा करने के लिए उचित परिश्रम आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया जा सके।
• सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को 2011 के नियमों को बदलने के लिए 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया गया था।

डिजिटल मीडिया प्रकाशक
• आईटी 2021 के नियम निम्नलिखित के ऑनलाइन प्रकाशकों के लिए कुछ आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं:
•समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री जिसमें ऑनलाइन पेपर, समाचार पोर्टल, एग्रीगेटर और एजेंसियां शामिल हैं;
•क्यूरेटेड ऑडियो-विजुअल सामग्री।
•नियम इन प्रकाशकों को विनियमित करने के लिए एक त्रि-स्तरीय संरचना स्थापित करते हैं:
स्तर I: एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करके प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन।
स्तर II: प्रकाशकों के संघों द्वारा स्व-नियमन।
स्तर III: केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निरीक्षण
नियमों के तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय:
• आचार संहिता सहित स्व-विनियमन निकायों के लिए एक चार्टर प्रकाशित करें।
• प्रकाशकों को उचित सलाह और आदेश जारी करना।
• आपातकालीन आधार पर सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार है (अंतर-विभागीय समिति द्वारा समीक्षा के अधीन)।
स्व-विनियमन निकाय (स्तर II) से उत्पन्न होने वाली शिकायत को अंतर-विभागीय समिति को भेजा जाएगा।
• आपातकाल के मामले में सूचना को अवरुद्ध करना
• नियमों के तहत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को किसी प्राधिकृत अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर आपात स्थिति में सामग्री (आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत कवर) को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करने का अधिकार है।

धारा 69ए के अंतर्गत आने वाले आधार हैं:
•भारत की संप्रभुता या अखंडता।
•भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा
•विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध
•सार्वजनिक व्यवस्था
•उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध को करने या किसी अपराध की जांच के लिए रोकना

भारत ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म

सन्दर्भ

ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल बुनियादी ढांचा भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देगा, और डिजिटल सेवाओं, प्लेटफार्मों, अनुप्रयोगों, सामग्री और समाधानों के भविष्य को सक्षम करेगा।

प्रमुख बिंदु

• सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना: यह डिजिटल समाधानों को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण, अर्थात सहयोग, वाणिज्य और शासन के लिए आवश्यक बुनियादी कार्यों को सक्षम बनाता है।
• भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) व्यक्तियों, बाजारों और सरकार के बीच बातचीत की गति को बढ़ाने के लिए सरलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं।

वेब 3.0:

• वेब 3.0 एक विकेन्द्रीकृत इंटरनेट है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक पर चलाया जाता है, जो उपयोग में आने वाले संस्करणों, वेब 1.0 और वेब 2.0 से भिन्न होगा।
• वेब 3.0 में, उपयोगकर्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी, अब के विपरीत जहां तकनीकी दिग्गज प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं।
• वेब 3.0 आर्किटेक्चर टोकन-आधारित अर्थशास्त्र, पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण को शामिल करते हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक नया संस्करण स्थापित करता है।

ब्लॉकचेन का अनुप्रयोग:

• वे अच्छी तरह से स्थापित विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) प्लेटफॉर्म हैं जो ब्लॉकचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं।
• DeFi उपयोगकर्ताओं को एल्गोरिथम द्वारा निर्धारित दरों पर अल्पकालिक आधार पर क्रिप्टोकरेंसी उधार लेने और उधार देने की अनुमति देता है।

अन्य महत्वपूर्ण खबरें

मेगालोडोन

सन्दर्भ

त्रि-आयामी मॉडल बनाने के लिए जीवाश्म साक्ष्य का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने अब तक के सबसे बड़े शिकारी जानवरों में से एक - मेगालोडन के जीवन के बारे में नए सबूत पाए हैं।

प्रमुख बिंदु

• मेगालोडन किलर व्हेल जितना बड़ा शिकार "पूरी तरह से निगल सकता है, और कम से कम पांच बार काट सकता है"।
• अध्ययन के अनुसार, मेगालोडन नाक से पूंछ तक लगभग 50 फीट की दूरी पर एक स्कूल बस से बड़ा था।
• अपने डिजिटल मॉडल का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि विशाल ट्रांसोसेनिक शिकारी का वजन लगभग 70 टन - या 10 हाथियों जितना होगा।
• अनुमानित 2.3 मिलियन से 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व मेगालोडन महासागरों में घूमते थे।
• मेगालोडन में कई महासागरों में प्रवास करने की क्षमता थी।

मंडला क्षेत्र

सन्दर्भ

मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला क्षेत्र देश का पहला "कार्यात्मक रूप से साक्षर" जिला बन गया है।

प्रमुख बिंदु

• 2011 में एक सर्वेक्षण के अनुसार जिले में साक्षरता दर 68% थी, जबकि 2020 में एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे।
• सरकार ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करके स्वतंत्रता दिवस 2020 से उन्हें कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया था।
• कार्यात्मक रूप से साक्षर: एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जा सकता है जब वह अपना नाम लिखने, हिंदी में गिनने और पढ़ने और लिखने में सक्षम हो।

टाटा पेंशन फंड का प्रबंधन करेगा

सन्दर्भ

टाटा एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रायोजित टाटा पेंशन मैनेजमेंट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत फंड के प्रबंधन के लिए पेंशन फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

पीएफआरडीए के बारे में

- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत नियामक निकाय है। पीएफआरडीए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में फैले हुए हैं।
- सेवानिवृत्त कर्मियों की वृद्धावस्था आय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य और साथ ही स्वैच्छिक पेंशन योजनाओं को बढ़ावा देकर देश में पेंशन योजना को बढ़ावा देना
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, टियर 1 और टियर 2 दोनों, PFRDA के दायरे में हैं और उसी द्वारा तय की जाती हैं
- पीएफआरडीए विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे पेंशन फंड मैनेजर, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) आदि की नियुक्ति का कार्य करता है।

एगमार्क प्रमाणन

सन्दर्भ

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एगमार्क प्रमाणीकरण के लिए मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल उत्पादों की आयातित खाद्य खेप की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

एगमार्क के बारे में

- एगमार्क कृषि उत्पाद के लिए एक प्रमाणन चिह्न है जो उपभोक्ताओं को आश्वस्त करता है कि उत्पाद विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुरूप है, जो कृषि मंत्रालय का हिस्सा है।
- ये मानक गुणवत्ता के बीच अंतर करते हैं और प्रत्येक वस्तु के लिए 2-3 ग्रेड निर्धारित किए जाते हैं।
- अब तक 222 कृषि उत्पादों के लिए ग्रेड मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं।
- इनमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन, वनस्पति तेल, घी, मसाले, शहद, मलाई वाला मक्खन, गेहूं, आटा, बेसन आदि शामिल हैं।

पथरूघाट विद्रोह

सन्दर्भ

असम के मुख्यमंत्री ने विधान सभा के एक विशेष सत्र के दौरान असम के पथरूघाट विद्रोह का उल्लेख किया।

प्रमुख बिंदु

- इस विद्रोह को असम के "जलियांवाला बाग" के नाम से जाना जाता है। 28 जनवरी, 1894 को सौ से अधिक किसान अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए। पथरुघाट गुवाहाटी से 60 किमी उत्तर पूर्व में असम के दरांग जिले का एक छोटा सा गाँव है।

पृष्ठभूमि

- 1826 में असम के ब्रिटिश कब्जे के बाद, राज्य की विशाल भूमि का सर्वेक्षण शुरू हुआ। इस तरह के सर्वेक्षणों के आधार पर, अंग्रेजों ने भूमि कर नकद में लगाना शुरू कर दिया, किसानों की नाराजगी के लिए, जैसा कि वे वस्तु या सेवा में भुगतान करते थे।
- 1893 में, ब्रिटिश सरकार ने कृषि भूमि कर में कथित तौर पर 70-80% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। पूरे असम में, किसानों ने रायज मेल, या लोगों के सम्मेलनों का आयोजन करके शांतिपूर्वक इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया।
- अंग्रेजों ने उन्हें राजद्रोह के लिए प्रजनन स्थल के रूप में माना और सभाओं को तितर-बितर करने के लिए भारी पड़ गए।
- 28 जनवरी, 1894 को पथरूघाट में, जब ब्रिटिश अधिकारी किसानों की शिकायतों को सुनने से इनकार कर रहे थे, मामला गरमा गया, जिसके बाद लाठीचार्ज

HQ 17A

सन्दर्भ

चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा के पास एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करने का फुटेज चीनी राज्य मीडिया पर 15 अगस्त को प्रसारित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- **कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण मुख्यालय 17ए था।**
- **भारतीय सीमा के निकट काराकोरम पठारी क्षेत्र में समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया गया।**
- **पीएलए ने अब तक अपने अप्रैल 2020 के उल्लंघनों से पहले यथास्थिति को बहाल करने में बहुत कम झुकाव दिखाया है, हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक और देपसांग में शेष घर्षण क्षेत्रों में बातचीत अभी बाकी है।**

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) का नया व्यवहार

सन्दर्भ

गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के एक्स सीटू प्रजनन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने जैसलमेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) में नई प्रवृत्ति की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- **वर्तमान बरसात के मौसम में चार मादा जीआईबी एक बार में दो अंडे देती हैं।**
- **सभी विशेषज्ञ एक सदी से भी अधिक समय से जीआईबी द्वारा एक ही अंडे की रिपोर्ट कर रहे थे।**
- **पार्क में अत्यधिक बारिश (अगस्त में 20 मिमी से अधिक) के कारण, पक्षियों के लिए प्राकृतिक चारा बहुतायत में पैदा हुआ है।**
- **जंगली में जीआईबी की आबादी 150 से कम हो गई है।**